पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 06/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 04.01.2025

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 04.01.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना-निजामाबाद:-फर्जी दस्तावेज के सहारे नाबालिग के साथ शादी करने व दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:-

वादी की पुत्री दिनांक 06.08.2024 को निजामाबाद बाजार सामान लेने गयी थी परन्तु देर रात वापस न आने पर वादी द्वारा थाना निजामाबाद पर गुमशुदगी दर्ज कराया गया था। बाद में जानकारी हुयी कि वादी की लड़की को बहला-फुसलाकर अभियुक्त श्यामदेव यादव पुत्र स्व0 दरबारी निवासी कैथौली पोस्ट मिर्जापुर थाना निजामाबाद जिला आजमगढ़ द्वारा अगवा कर कोर्ट मैरेज कर लिया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 13.12.24 को मु0अ0सं0 570/24 धारा 137(2),87 BNS का अभियोग बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी व फर्जी दस्तावेज बनवाकर शादी किये जाने की बात प्रकाश में आने व पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम पाये जाने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64,318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 03.01.25 को उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त श्यामदेव पुत्र दरबारी निवासी कैथौली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र 44 वर्ष को सेण्टरवा मोड़ से समय करीब 22.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 570/24 धारा -137(2),87, 64,318(2),338,336(3),340(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तारी अभियुक्त:-

श्यामदेव पुत्र दरबारी निवासी कैथौली थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह मय हमराह थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

02.थाना-बिलरियागंजः- किशोरी के साथ दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.12.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक 01.12.2024 को समय 11.00 बजे वादिनी की नाबालिक पुत्री घर से पैसा निकालने के लिए बाजार गयी थी वहीं से अभियुक्तों 1.मंगल जायसवाल पुत्र अज्ञात 2.रवि कुमार पुत्र अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर वादिनी की पुत्री को भगा ले जाया गया। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 419/2024 धारा 137(2)/87 बीएन.एस. बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 02 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता की बरामदगी, बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.01.2025 को उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मंगल जायसवाल पुत्र स्व0 हरिओम जायसवाल निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को बघैला ग्राउण्ड के पास समय करीब 11.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मंगल जायसवाल पुत्र स्व0 हरिओम जायसवाल निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 419/24 धारा 65(1), 87, 137(2) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

उ0नि0 मनीष विश्वकर्मा मय हमराह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

03.थाना-मेहनाजपुरः- सोशल मीडिया पर किसी विशेष धर्म के आराध्य पर अभद्र टिप्पणी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

आज दिनांक 04.01.25 को थानाध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाने पर आकर शिकायत किया गया कि अमित कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम तियरा थाना मेंहनाजपुर आजमगढ़ द्वारा सोशल मीडिया पर हिन्दु धर्म के आराध्य भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की गयी जिससे एक विशेष धर्म के लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 03/2025 धारा 299,353(2),बीएनएस व 67 ए आईटी एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.01.25 को उ0नि0 आकाश कुमार मय हमराह मुकदमा उपरोक्त की नामजद व वांछित अभियुक्त अमित कुमार पुत्र अमरनाथ निवासी ग्राम तियरा पोस्ट कूबाखास थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ को सिहुका अबीरपुर गेट से समय करीब 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

04.थाना-मुबारकपुरः-किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटनाः-

दिनांक 21.12.2024 को वादिनी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को स्कूल जाते समय अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामजियावन निवासी ग्राम डिलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 497/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 04.01.2025 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र रामजियावन निवासी ग्राम डिलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को ग्राम देवरिया खालसा चीनी मील के पास से समय करीब 10.05 बजे पुलिस गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।